सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 04 फाल्गुन, 1942 (श०) / 23 फरवरी, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 84

(1)	शिक्षा विभाग	42
(2)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग	04
(3)	कला, संस्कृति एवं युवा कल्याण विभाग	18
(4)	समाज कल्याण विभाग	03
(5)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	06
(6)	खान एवं भूतत्व विभाग	01
(7)	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	02
(8)	परिवहन विभाग	06
(9)	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	02
	कुल योग --	84

भवन का निर्माण

*79. श्रीमती अरूणा देवी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के काशीचक प्रखंड में माध्यमिक विद्यालय, धानपुर को 8 वर्ष पूर्व इंटर विद्यालय में उत्क्रमण किया गया था, जिसके बाद भी इंटर भवन अभीतक नहीं बनाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में इंटर भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय में भवन निर्माण हेतु 173.92 लाख (एक करोड़ तिहत्तर लाख बेरानवे हजार) रुपये का प्राक्कलन तैयार हो गया है और इसपर तकनीकी स्वीकृति दे दी गई है । इस क्रम में प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

स्टेडियम का निर्माण

*80. श्री छोटे लाल राय--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखंड दरियापुर के दुर्गा उच्च विद्यालय, सुतिहार एवं रहमत बालिका उच्च विद्यालय, मस्तीचक में खेल का बड़ा मैदान है, उक्त मैदान में स्टेडियम निर्माण हेतु पर्याप्त जमीन है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त खेल मैदान पर स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*81. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत पंचदेवरी प्रखंड के ग्राम पंचायत बनकटियां में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय भवन विहीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय परिसर में भूमि उपलब्ध रहने के बावजूद भी विद्यालय का भवन निर्माण नहीं हो सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों का वेतन भुगतान

*82. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला में टी0ई0टी0 उत्तीर्ण 100 प्रखंड शिक्षकों का वेतन जाँच के नाम पर पाँच वर्षों से लम्बित रहने के कारण उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*83. श्री सुरेन्द्र मेहता--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले के मंसूरचक प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार डी0वी0एम0 इंटर कॉलेज, मंसूरचक को उत्क्रमित कर डिग्री कॉलेज बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान का भुगतान

*84. श्री अजय कुमार सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के वित्त रहित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का जीवन-यापन अनुदान की राशि पर सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से बंद कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुंगेर, नालन्दा जिला सहित राज्य के अन्य जिलों में कार्यरत 10 हजार से अधिक वित्त रहित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी अनुदान की राशि पर निर्भर हैं जिन्हें समय अनुदान नहीं दिया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वित्त रहित शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को अनुदान का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नीलगाय से फसल की बर्बादी रोकना

*85. श्री कुंदन कुमार--क्या मंत्री, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण एवं वन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत प्रखंड वीरपुर एवं बरौनी प्रखंड के क्रमशः कोला चौउर, वीरपुर चौउर एवं सुजा से मोहनपुर के खेतों में नीलगाय द्वारा फसलों को बर्बाद किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कोला चौउर के लगभग 5000 बीघा जमीन पर गेहूँ, मक्का एवं सोयाबीन तथा मोहनपुर से सुजा तक के 3000 बीघा जमीन पर किसानों द्वारा फल एवं सब्जी का उत्पादन किया जाता है, परन्तु नीलगाय से छुटकारा या प्रभावित किसानों को मुआवजा संबंधी कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में नीलगाय से फसल की बर्बादी रोकने तथा प्रभावित किसानों को क्षति के अनुरूप मुआवजा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सूखे पेड़ों को कटवाकर हटाना

*86. श्री अजीत शर्मा--क्या मंत्री, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण एवं वन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के मुख्य पथ महात्मा गाँधी मार्ग, रायबहादुर सुखराज राय पथ के किनारे सैकड़ों की संख्या में पेड़ सूखे हुये हैं, जिसकी टहनियाँ या पेड़ गिरने से लोगों को असमय जान गंवानी पड़ती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सूखे पेड़ों को कटवाकर हटाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस पड़ाव की व्यवस्था

*87. श्री निरंजन कुमार मेहता--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत बिहारीगंज, मुरलीगंज, ग्वालपाड़ा एवं उदाकिशुनगंज प्रखंड मुख्यालय में बस पड़ाव नहीं रहने के कारण यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड मुख्यालयों में बस पड़ाव की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कॉलेज स्थापित कराना

*88. श्रीमती ज्योति देवी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड बाराचट्टी में सरकारी कॉलेज नहीं है, जिस कारण इस क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु शेरघाटी/गया जाना पड़ता है, जबकि उक्त प्रखण्ड के कोब्राकैम्प 205 के नजदीक भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उपलब्ध भूमि पर कॉलेज स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सम्प्रति सिर्फ उन्हीं अनुमण्डलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है, जहाँ पूर्व से अंगीभूत महाविद्यालय संचालित नहीं है।

गया जिलान्तर्गत प्रखण्ड बाराचट्टी शेरघाटी अनुमण्डल के अन्तर्गत है, जहाँ पूर्व से अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में एस0एम0एस0जी0 कॉलेज, शेरघाटी अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में संचालित है। अतः गया जिलान्तर्गत प्रखण्ड बाराचट्टी में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोलने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

महिला पॉलिटेक्निक खोलना

*89. श्री प्रणव कुमार--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक जिला में महिला पॉलिटेक्निक खोलने का निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला में अभीतक महिला पॉलिटेक्निक नहीं खुला है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुंगेर जिला में महिला पॉलिटेक्निक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*90. श्री सूर्यकान्त पासवान--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बखरी अनुमंडल में एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं रहने के कारण छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार का यह निर्णय है कि सभी अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा ;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण कराना

*91. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पताही प्रखण्ड में स्थित उच्च विद्यालय, बखरी में स्टेडियम निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*92. श्री सत्यदेव राम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत गुठनी और दरौली प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण वहां के छात्र/छात्राएँ उच्च शिक्षा की डिग्री से वंचित रह जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित प्रखंडों में कबतक डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अवैध बालू खनन को बन्द एवं दोषी पर कार्रवाई करना

*93. श्रीमती मीना कुमारी--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लदनियाँ प्रखण्ड में त्रिशुला नदी घाट से बालू का अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन के लिए खनन विभाग द्वारा बंदोबस्त नहीं किए जाने के बावजूद बालू का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बालू के अवैध खनन को बंद करने एवं दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अवशेषों को संरक्षित करना

'क'-*94. श्री राजेश कुमार--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतालने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा प्रखंड के कुटुम्बा गढ़ की खुदाई विभाग द्वारा कराने जाने के पश्चात् प्राचीन पुरातात्वीय अवशेष प्राप्त हुए है, यदि हाँ, तो क्या सरकार प्राचीन पुरातात्वीय अवशेषों को संरक्षित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*95. श्रीमती अरूणा देवी--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के पकरीबरावां प्रखंड में एक भी स्टेडियम नहीं है, जबकि उक्त प्रखंड में इंटर विद्यालय, पकरीबरावां में मानक क्षेत्रफल का खेल मैदान उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त विद्यालय के मैदान में स्टेडियम का निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बेंच एवं डेस्क की व्यवस्था

*96. श्री अरूण शंकर प्रसाद--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखंड अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, गौसनगर में वर्ग-9 में 131 वर्ग-10 में 81 छात्र-छात्रायें नामांकित है, उक्त उच्च विद्यालय में बेंच एवं डेस्क नहीं रहने से छात्रों को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक प्रश्नांकित उच्च विद्यालय में बेंच एवं डेस्क की व्यवस्था करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'- खान एवं भूतत्व विभाग के ज्ञापांक-516, दिनांक 18 फरवरी, 2021 के द्वारा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में स्थानान्तरित।

सरकारी बस का परिचालन

*97. श्री नरेन्द्र नारायण यादव--क्या मंत्री,परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला मुख्यालय सहरसा से मधेपुरा एवं मधेपुरा से चौसा जानेवाली सड़कें एन० एच० 107, एन० एच०-106 तथा एस० एच०-98 के अधीन आती है, जिसमें बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसें नहीं चलती हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित पथों पर बसें चलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*98. श्री निरंजन कुमार मेहता--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि युवाओं के बीच खेलकूद की भावना को विकसित करने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक प्रखंड के एक उच्च विद्यालय के क्रीड़ा मैदान में स्टेडियम का निर्माण का निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत बिहारीगंज विधान सभा क्षेत्र के उदाकिशुनगंज प्रखंड के एस० बी० जे० एस० उच्च विद्यालय के क्रीड़ा मैदान में स्टेडियम निर्माण अभीतक नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के क्रीड़ा मैदान में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस सेवा प्रारंभ करना

*99. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के प्रखंड बेतिया, लौरिया, चनपटिया, मझवलिया, नरटियागंज, बगहा, चनपटिया, मैनाटाड़ से सीधे राजधानी पटना तक सरकारी बस सेवा नहीं होने के कारण प्राईवेट बस द्वारा मनमाने ढंग से किराया वसूला जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित स्थानों से पटना के लिये बसे सेवा प्रारंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण कराना

*100. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत रतनी फरीदपुर प्रखंड के ग्राम श्री विगहा में स्टेडियम निर्माण हेतु 15 एकड़ जमीन उपलब्ध है, सरकार युवाओं के बिकास के प्रति कटिबद्ध है, युवाओं के विकास के लिये प्रत्येक प्रखंड में एक स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भू-खंड पर कबतक स्टेडियम निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण

*101. श्री मनोज कुमार यादव--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति/ जन-जाति कल्याण बिभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कोटवा प्रखंड के जसौली पंचायत के जसौली डोम टोली (महादलित बस्ती) में सामुदायिक भवन नहीं है, जिस कारण सामाजिक कार्य किये जाने में कठिनाई होती है, जबकि उक्त बस्ती में सरकारी जमीन परती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त महादलित बस्ती में सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति

*102. श्री मुकेश कुमार रौशन--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महुआ प्रखंड के बालू घाट उच्च विद्यालय, सिंघाड़ा में 700 छात्र-छात्राओं हेतु मात्र 2 शिक्षक कार्यरत हैं, जिससे पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में छात्रों के मानक अनुपात में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि महुआ प्रखंड के लोहिया लालधारी राय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालू घाट खेसरहिया में नामांकित छात्र-छात्रा की कुल संख्या 579 है ।

वर्तमान में सेवानिवृत्ति/स्थानान्तरण के पश्चात् दो शिक्षक कार्यरत हैं । विद्यालय में छात्रों के मानक अनुपात को ध्यान में रखकर छठे चरण अंतर्गत शिक्षक नियोजन में रिक्त पदों पर शिक्षकों के पदस्थापन की कार्रवाई प्राथमिकता पर की जायेगी ।

पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना

*103. श्रीमती शालिनी मिश्रा--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत केसरिया, कल्याणपुर एवं संग्रामपुर प्रखंड में पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं होने के कारण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को बाहर रहकर तकनीकी पढ़ाई करनी पड़ती है, जिससे उन पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों में पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*104. श्री कुमार शैलेन्द्र--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखंड में पहाड़पुर गाँव में नागर उच्च विद्यालय स्थित खेल का मैदान है एवं स्टेडियम निर्माण की सारी अर्हताओं को पूरा करता है, यदि हाँ, तो सरकार नागर उच्च विद्यालय में स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आधारभूत संरचना सुदृढ़ कराना

*105. श्री अजय कुमार सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर एवं धरहरा प्रखंड के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की आधारभूत संरचना के लिये वित्तीय वर्ष 2018-19 से राशि आवंटित है तथा वर्ष 2020 में इन विद्यालयों के लिये निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ कर उसे रद्द कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में आधारभूत संरचना के अभाव में विद्यालयों का पठन-पाठन का कार्य अवरुद्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आवंटित राशि से उक्त विद्यालयों में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय खोलना

*106. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत साहेबनगर पंचायत के साहेबनगर गाँव में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, जिसके कारण बच्चे-बच्चियों को पढ़ने के लिये 5 किलोमीटर दूर बाँध टोला जाना पड़ता है, जबकि साहेबनगर गाँव में ही 47 डिसमिल सरकारी जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित गाँव में कबतक प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*107. श्री (मो०) आफाक आलम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत श्रीनगर प्रखण्ड में जगेली पंचायत के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, जगेली की चहारदीवारी का निर्माण नहीं होने के कारण आवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों के प्रवेश कर जाने के कारण विद्यार्थियों का पठन-पाठन अवरुद्ध हो जाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*108. श्री जनक सिंह--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया प्रखंड के नेपाल सिंह, उच्च विद्यालय, गवंदी में स्टेडियम निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में तत्काल आवंटित विमुक्त राशि 8,00,000 और निविदा के बाद भी संवेदक द्वारा उक्त स्टेडियम का निर्माण कार्य नहीं कराया गया, यदि हाँ, तो सरकार नेपाल सिंह उच्च विद्यालय, गवंदी में कबतक स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*109. श्री विनय कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ प्रखण्ड के रघुनाथखाप पंचायत के ग्राम-पीरमा में प्राथमिक विद्यालय भवन के अभाव में सामुदायिक भवन में चल रहा था, जो विगत 4 वर्ष पूर्व उक्त प्राथमिक विद्यालय को उक्त पंचायत के ग्राम वाजीतपुर में टैग कर दिया गया है, जिसकी दूरी एक कि०मी० से अधिक होने के कारण बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में ही नये भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक से भुगतान कराना

*110. श्री सुधाकर सिंह--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वृद्धा पेंशन सरकार द्वारा बैंक से भुगतान करने का आदेश दिया गया है, उस दौरान ऑन लाइन की प्रक्रिया में कैमूर जिला के अन्तर्गत नुआँव प्रखण्ड के 350 वृद्धा पेंशनधारियों का नाम छुट गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, नुआँव के पत्रांक 320, दिनांक 16 मार्च, 2020 एवं पत्रांक 122, दिनांक 29 जनवरी, 2020 के छुटे हुये वृद्धा पेंशनधारी के भुगतान के लिये पत्र दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छुटे हुये वृद्धा पेंशनधारियों को बैंक से भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार एवं तीन कक्ष का निर्माण

*111. श्री अचमित ऋषिदेव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत परसाहाट के मध्य विद्यालय, नगराही में आठ वर्ग कक्ष में दो वर्ग कक्ष जर्जर है एवं प्रावधान के अनुसार कार्यालय कक्ष, पुस्तकालय एवं छात्राओं के लिये कॉमन रूम का अभाव है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में दो जर्जर कक्षों का जीर्णोद्धार कराते हुये तीन उक्त वर्णित कक्षों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

10+2 उच्च विद्यालय-सह-छात्रावास खोलना

*112. श्री नरेन्द्र नारायण यादव--क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत चौसा प्रखंड में अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु 10+2 उच्च विद्यालय-सह-छात्रावास नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखण्ड के ग्राम-कलाशन में 10+2 उच्च विद्यालय-सह-छात्रावास खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिये कुल 12 (बारह) अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित हैं, जिसमें वर्ग 6 से 12 तक की कक्षाएँ संचालित की जाती हैं ।

वर्तमान में मधेपुरा जिलान्तर्गत चौसा प्रखंड के ग्राम-कलाशन में अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु 10+2 उच्च विद्यालय-सह-छात्रावास खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कन्या उच्च विद्यालय की स्थापना

*113. श्री कुमार सर्वजीत--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नक्सल प्रभावित सुदूर जंगली प्रखण्ड फतेहपुर में मात्र एक बालिका उच्च विद्यालय है जिस कारण इस प्रखण्ड के दूरस्थ क्षेत्रों की छात्राएँ 20 कि०मी० तक की दूरी तय कर पाठन-पाठन हेतु इस विद्यालय में आती हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार इस प्रखंड के जयपुर एवं कठौतिया केवाल ग्राम पंचायत में कन्या उच्च विद्यालय की स्थापना का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रा० विद्यालय स्थापित करना

*114. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नगर परिषद् जहानाबाद की आबादी और जनसंख्या के अनुपात में प्राथमिक विद्यालय की संख्या बहुत ही कम है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वार्ड नं० 5 के मदारपुर में दलित-महादलित की आबादी है, प्रा० विद्यालय नहीं होने के कारण उस क्षेत्र के छात्र-छात्राएं शिक्षा से वंचित रह जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वार्ड के मदारपुर में प्रा० विद्यालय बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

समस्याओं का निदान कराना

*115. श्री मुरारी प्रसाद गौतम--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड तथा शिवसागर प्रखंड सहित जिले के अन्य खेल मैदानों में पेयजल, शौचालय, जल-जमाव एवं रोशनी की समस्या है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित समस्याओं का निदान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महाविद्यालय में शिक्षकों की बहाली

*116. श्री सुधाकर सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंड के ग्राम-भारती महाविद्यालय में 7000 छात्र-छात्रायें अध्ययन करते हैं, जिसमें मात्र 37 शिक्षक हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि यूजीसी0 नियमों के तहत छात्र, शिक्षक का अनुपात 1:40 है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त महाविद्यालय में कबतक शिक्षकों की बहाली कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बहाली एवं अनुग्रह राशि दिलाना

*117. श्री मुकेश कुमार यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पंचायती राज संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के मृत्योपरान्त अनुकम्पा के आधार पर उनके आश्रितों की बहाली (नियोजन) नहीं हुई है तथा उनके परिजनों को देय अनुग्रह राशि का भुगतान भी लम्बित है, यदि हाँ, तो सरकार प्रभावितों की समस्या को दूर करने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कन्या प्रोत्साहन योजना से आच्छादित कराना

*118. श्री विनय कुमार चौधरी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिये "कन्या प्रोत्साहन योजना" की शुरुआत की है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय के छात्राओं को "कन्या प्रोत्साहन योजना" से आच्छादित कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खेल परिसर बनाना

*119. श्रीमती शालिनी मिश्रा--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के केसरिया विधान सभा क्षेत्र में यहाँ के क्रीड़ा प्रेमियों द्वारा सरकार से खेल परिसर बनाने की माँग दशकों से की जा रही है परन्तु आजतक खेल परिसर का निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक केसरिया में खेल परिसर बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुनरीक्षित पेंशन देना

*120. श्री रित लाल राय--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 268, दिनांक 14 अप्रील, 2016 के उपबंध 1, नियम 12(4) के कंडिका 46 में अंकित हत्या/मृत्यु/सामूहिक हत्या/बलात्संग/सामूहिक बलात्संग/स्थायी अक्षमता और डकैती के मामलों में मृतकों के विधवाओं एवं आश्रितों को संशोधित पेंशन दर 5,000 रुपये प्रतिमाह भुगतेय है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अधिसूचना लागू होने का तिथि के बाद 7वाँ वेतन पुनरीक्षण लागू किये जाने के बावजूद राज्य में पीड़ित पेंशनधारियों का पेंशन पुनरीक्षण नहीं किया गया है, इससे उन्हें आर्थिक क्षति हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त अधिनियम अन्तर्गत पीड़ितों को 7वें वेतनमान एवं उसपर देय महंगाई भत्ते के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के क्रमांक 14 की उपबंध I [नियम 12(4)] राहत राशि के लिये मापदंड की कंडिका 46(i) के अनुसार अत्याचार की तारीख से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों को प्रतिमास रु0 5,000 (पाँच हजार रु0) की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय महंगाई भत्ता, जैसा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों पर लागू है, दिये जाने का प्रावधान है ।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 424(अ), दिनांक 14 अप्रील, 2016 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 अधिसूचित है, जिसे विभागीय पत्रांक 4297, दिनांक 3 जून, 2016 के द्वारा सभी जिलों को नियमानुसार कार्रवाई हेतु संसूचित किया गया है ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं नियम में संशोधन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ही किया जाता है ।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 11012/2/2016-PCR(Desk), दिनांक 6 सितम्बर, 2016 द्वारा संशोधन नियम लागू करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में संसूचित किया गया है कि अधिनियम/नियम को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है ।

नियमानुसार दिनांक 14 अप्रील, 2016 के बाद के काण्डों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों को प्रतिमास रु0 5,000 (पाँच हजार रु0) की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय महंगाई भत्ता, (17 प्रतिशत) जो राज्य सरकार के सरकारी सेवकों पर लागू है, दी जा रही है, जबकि दिनांक 14 अप्रील, 2016 के पूर्व के मामलों में नियमानुसार निर्धारित दर पर मूल पेंशन की राशि दी जा रही है ।

(3) उपरोक्त खंड (1) एवं (2) में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

कार्रवाई करना

*121. श्री छोटे लाल राय--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखंड परसा में पिछले तीन वर्षों से सी0डी0पी0ओ0 पदस्थापित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड में आँगनबाड़ी केन्द्रों से मिलने वाली कुपोषित, अतिकुपोषित, गर्भवती छात्रा, किशोरी को पोषाहार सामग्री उचित मात्रा में नहीं मिल पाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में इसकी जाँच कराकर कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*122. श्री राम विशुन सिंह--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2005-06 में समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या 156 में सेविका पद पर चयन की प्रक्रिया तत्कालीन सी0डी0पी0ओ0 द्वारा किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा 2017 में निर्णय हुआ कि वाद का निपटारा सक्षम पदाधिकारी से कराते हुये वादी को संसूचित करे ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या 156 में सेविका चयन से संबंधित वाद का निवटाव अभीतक नहीं होने का क्या औचित्य है ?

विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार

*123. श्री मेवालाल चौधरी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के हवेली खड़कपुर प्रखंड मुख्यालय के राजेन्द्र श्री कृष्ण उच्च विद्यालय का भवन जर्जरावस्था में रहने के कारण विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम को पूर्ण कराना

*124. श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल''--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड अन्तर्गत खंगरैठा में स्टेडियम का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2009-10 में शुरू हुआ था जो अभीतक अधूरा है, यदि हाँ, तो सरकार अधूरे स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*125. श्रीमती नीतू कुमारी--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के हिसुआ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड हिसुआ में आउटडोर स्टेडियम नहीं रहने के कारण प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल संबंधित क्रिया-कलाप में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखण्ड में आउटडोर स्टेडियम के निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*126. श्री विनय कुमार--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरुआ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत परैया प्रखण्ड में अशोक इन्टर (10+2) विद्यालय में स्टेडियम का निर्माण नहीं होने के कारण खेल प्रेमियों को कठिनाई हो रही है, जबकि उक्त विद्यालय में स्टेडियम के लिए भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी निर्माण कराना

*127. श्री अचमित ऋषिदेव--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ एवं अररिया जिला के सीमा पर सिंधिया जंगल है जो चारों ओर से खुला होने के कारण रात्रि में हजारों की संख्या में पच्चीस-पचास झुंड में नील गाय एवं घोड़ पाड़ा अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत मझुआ पूरब एवं मझुआ पश्चिम के किसानों के फसल को क्षति पहुँचाते हैं, जिस कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सिंधिया जंगल का चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बालिका उच्च विद्यालय खोलना

*128. श्री प्रणव कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नौवागढ़ी मुंगेर में बालिका उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण आस-पास के इलाके के छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हां, तो क्या सरकार नौवागढ़ी मुंगेर में बालिका उच्च विद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना

*129. श्री कुंदन कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के सम्मान एवं छात्र-छात्राओं के उच्च शिक्षा हेतु विगत 10 वर्षों से बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु माँग की जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एक लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने एवं अन्य कार्य हेतु 100 कि0मी0 की दूरी तय कर दरभंगा विश्वविद्यालय जाना पड़ता है जिस कारण 40 प्रतिशत गरीब छात्र-छात्राएं दूरी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय में स्थापित गणेश दत्त महाविद्यालय में उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 15 एकड़ भूमि उपलब्ध है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आउटडोर स्टेडियम का निर्माण

*130. श्री पवन कुमार जायसवाल--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, पू0 चम्पारण के पत्रांक 06, दिनांक 13 फरवरी, 2015 द्वारा सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को पू0 चम्पारण जिला के उच्च विद्यालय, घोड़ासहन, उच्च विद्यालय, टोनवा एवं उच्च विद्यालय, भंडार सहित 12 स्थानों पर आउटडोर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया था, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थानों पर आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नीलगायों से फसलों को बचाना

*131. श्रीमती प्रतिमा कुमारी--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के राजापाकर प्रखण्ड में नीलगाय के द्वारा हजारों एकड़ मे लगे फसलों को काफी क्षति हुई है, साथ ही नीलगाय के आतंक से आम जनता काफी भयभीत है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में नीलगाय से किसानों के फसलों को बर्बादी से रोकने हेतु कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय स्थापित करना

*132. श्री (डॉ0) रामानुज प्रसाद--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर प्रखंड अंतर्गत हासिलपुर ग्राम पंचायत के बरियारचक ग्राम में एक भी सरकारी विद्यालय नहीं है, जिसके कारण उक्त ग्राम के बच्चे आज भी प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्राम में एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*133. श्री (मो0) आफाक आलम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिलान्तर्गत कसबा प्रखण्ड के मोहनी पंचायत के मोहनी गाँव में स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय, मोहनी का चहारदीवारी का निर्माण नहीं होने के कारण मवेशुओं एवं असामाजिक तत्वों के विद्यालय परिसर में प्रवेश कर जाने से विद्यार्थियों को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय का चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*134. श्री सत्यदेव राम --क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में आउटडोर स्टेडियम निर्माण कराने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, परंतु सीवान जिलान्तर्गत दरौली प्रखंड में स्टेडियम नहीं रहने के कारण प्रतिभावान युवक-युवतियों को खेल के क्षेत्र में भविष्य संवारने का अवसर नहीं मिलता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जन्म स्थान अंकित करना

*135. श्री राम विशुन सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार के नवम वर्ग की पाठ्य पुस्तक में हमारी अर्थव्यवस्था भाग-1 के पृष्ठ संख्या 127 में होनहार बालक शीर्षक की कहानी में स्व० मोहित राम के पुत्र शिवसागर राम गुलाम की कहानी अंकित है, जो मोरीसस के प्रधानमंत्री थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्व० मोहित राम का जन्म भोजपुर जिला के जगदीशपुर अंचल के हरिगाँव ग्राम में हुआ था किन्तु उक्त पुस्तक की कहानी में उनका जन्म स्थान हरिगाँव अंचल, जगदीशपुर अंकित नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पुस्तक में उनका जन्म स्थान को अंकित करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) प्रश्नगत पाठ्य पुस्तक हमारी अर्थव्यवस्था भाग-1 के पृष्ठ संख्या 127 पर अंकित होनहार बालक शीर्षक कहानी में स्व० मोहित राम का जन्म स्थान "हरिगाँव अंचल जगदीशपुर" अंकित नहीं है, जिस पाठ्य पुस्तक के आगामी संशोधन/मुद्रण के समय अंकित कर दिया जायेगा ।

पठन-पाठन दुरुस्त करना

*136. श्री मुकेश कुमार यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पाँच शैक्षणिक सत्रों 2016-17 से 2020-21 तक राज्य के लगभग सभी उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में एक भी माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षकों से पठन-पाठन के साथ-साथ कार्यालय का कार्य कराया जाता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का प्रतिनियोजन माध्यमिक विद्यालय में करने से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की पढ़ाई पर असर होता है और गुणवत्ता शिक्षा भी प्रभावित होती है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पठन-पाठन संबंधी दोषों को दूर करने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विषयवार शिक्षकों का पदस्थापन

*137. श्री अजय यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नीमचक बथानी प्रखंड के गुलाबचंद जनता उ० वि० नीमचक बथानी में स्वीकृत पद के बावजूद विषयवार शिक्षक खासकर विज्ञान शिक्षक नहीं रहने के कारण शिक्षण कार्य अवरुद्ध है एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव में नामांकित बच्चे अन्यत्र पलायन कर रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक छात्रहित में उक्त विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों को पदस्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मरम्मत कराना

*138. श्री कुमार शैलेन्द्र--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखंड में अवस्थित माध्यमिक उच्च विद्यालय, नारायणपुर में एक हजार विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिये कुल आठ कमरे हैं जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, जिसके कारण कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों के जीर्ण-शीर्ण कमरों की मरम्मती कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मानदेय का भुगतान

*139. श्री आबिदुर रहमान--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत, अररिया प्रखंड के बोची पंचायत के मदरसा इस्लामिया, बोची में वर्ष 2018 में विज्ञान शिक्षक के पद पर श्री अबुनसर, श्री (मो०) अब्दुर्रहमन एवं श्री मो० खुर्शीद सहित पूरे राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति की गयी थी, परन्तु अबतक उनके मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सभी शिक्षकों के मानदेय का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कार्य पूर्ण कराना

*140. श्री अवध विहारी चौधरी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत सदर सीवान प्रखंड के उच्च विद्यालय, पचलखी का भवन का निर्माण जिला योजना मद से 1985 ई० में किया गया, परन्तु प्लीन्थ तक निर्माण कर उसी वर्ष निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय का भवन अधूरा निर्मित होने से विद्यार्थियों को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय भवन का निर्माण पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय का निर्माण

*141. श्री विजय कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के घाटकुसुम्भा प्रखंड के जितपारपुर तथा हसामचक गाँव की आबादी लगभग एक हजार होने के बावजूद यहाँ विद्यार्थियों के पठन-पाठन के लिये प्राथमिक विद्यालय नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थानों पर प्राथमिक विद्यालय निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*142. श्री मुरारी प्रसाद गौतम--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 में निर्णय लिया गया था कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा ;

(2) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत नौहट्टा एवं रोहतास प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण आजतक नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*143. श्री मेवालाल चौधरी--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत संग्रामपुर प्रखण्ड के दिदारगंज पंचायत के कहुआ ग्राम में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु सरकार को वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुमति प्रदान करना

*144. श्री विजय कुमार--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 12 चक्का से अधिक के वाहनों द्वारा पत्थर-बालू ढुलाई पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे ट्रांसपोर्टरों, खनन् कारोबारियों के साथ ही आमजन को कठिनाई हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 12 चक्का से अधिक चक्के वाले वाहनों का राज्य सरकार द्वारा अभीतक निबंधन रद्द नहीं कर राजस्व की वसूली की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक 12 चक्का से अधिक चक्के वाले वाहनों को पत्थर-बालू ढुलाई करने का अनुमति प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) ओवरलोडेड वाहनों के परिचालन के कारण महत्वपूर्ण सड़कों, पुलों एवं आधारभूत संरचनाओं की क्षति को देखते हुये राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं० 8536, दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 द्वारा 14 चक्का या इससे अधिक चक्के के वाहनों द्वारा पत्थर-बालू ढुलाई पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही निबंधनपुस्त में निर्धारित लदान क्षमता के अनुरूप 6 से 12 चक्के के वाहनों के डाला की अधिकतम ऊँचाई निर्धारित की गयी है ।

उक्त अधिसूचना द्वारा केवल 14 या इससे अधिक चक्के के वाहनों को बालू/गिट्टी के परिवहन को छोड़कर अन्य किसी भी सामाग्रियों के परिवहन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है ।

(2) 14 चक्के या उससे अधिक चक्के के वाहनों से केवल बालू/गिट्टी के परिवहन पर रोक लगायी गयी है। अन्य समान के परिवहन पर किसी प्रकार की रोक नहीं है तथा वर्तमान में इन गाड़ियों द्वारा अन्य माल की ढुलाई की जा रही है। अत: इसके निबंधन को रद्द किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(3) राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव सड़क सुरक्षा, लोक सम्पत्ति नुकसान एवं राजस्व हित में विचाराधीन नहीं है।

उत्क्रमित करना

*145. श्री अरूण शंकर प्रसाद--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार के निर्देशानुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी ने अपने पत्रांक 1119, दिनांक 11 मार्च, 2018 के द्वारा उच्च विद्यालय में उत्क्रमित हेतु 40 डि० भवन एवं 35 डि० खेल मैदान भूमि के सन्दर्भ में मानक तय किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त मानक के विरुद्ध मधुबनी जिला के जयनगर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, वैतौन्हा के बदले मध्य विद्यालय, बेला को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित कर दिया गया है, म०वि०, बेला को मात्र 5 कट्ठा पाँच धूर जमीन उपलब्ध है, जबकि म०वि०, वैतौन्हा के पास 14 कट्ठा जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार म०वि०, बेला की जगह म०वि०, बैतौन्हा को उच्च विद्यालय के रूप में उत्क्रमित करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 1119, दिनांक 11 मार्च, 2018 से संबंधित पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी के मुख्यालय छोड़ने से संबंधित है ।

(2) एवं (3) अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि जयनगर प्रखंड के बेलही पश्चिमी पंचायत में उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेला अवस्थित है। इसका उत्क्रमण उच्च माध्यमिक विद्यालय में नहीं हुआ है। बेलही पश्चिमी पंचायत एक माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत है। इस पंचायत में अवस्थित किसी भी मध्य विद्यालय को 75 डिसिमल भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना नहीं की गयी है।

उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कक्षा 9 की पढ़ाई शैक्षणिक सत्र 2020-21 से प्रारंभ की गयी है।

उच्च विद्यालय में उत्क्रमण

*146. श्री राणा रणधीर--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के पकड़ीदयाल अनुमंडल के पकड़ीदयाल प्रखंड में प्रखंड मुख्यालय से 7 कि०मी० की दूरी पर उच्च विद्यालय अवस्थित रहने के कारण वहां पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को विद्यालय आने-जाने में असुविधा होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पकड़ीदयाल प्रखंड मुख्यालय में ही राजकीय कन्या मध्य विद्यालय अवस्थित है, जिसमें उच्च विद्यालय स्तर के पठन-पाठन के लिये भवन, मैदान आदि की सुविधा उच्च विद्यालय के मानक के अनुरूप उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, पकड़ीदयाल को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*147. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट प्रखण्ड के ग्राम पंचायत राज्य जलालपुर के ग्राम पेटभरिया में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय जो भवन विहिन है, उक्त विद्यालय के भवन विहिन होने से इसका कार्य संचालन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुचायकोट के मौखिक आदेशानुसार समीप के गाँव बरवाँवत उत्क्रमित मध्य विद्यालय से संचालित किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय परिसर में भूमि उपलब्ध रहने के बावजूद भी विद्यालय का भवन निर्माण नहीं हो सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज की स्थापना

*148. श्री ललन कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखण्ड में उच्च शिक्षा के लिये डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण उक्त प्रखण्ड के 29 पंचायतों के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु 15 कि०मी० की दूरी तय कर कहलगांव जाना पड़ता है, जिससे लगभग 40 प्रतिशत छात्र-छात्राएं डिग्री की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार पीरपैंती प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी बस का परिचालन

*149. श्री शमीम अहमद--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के नरकटियागंज विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बनकटवा से गोला पकड़िया घाट होते हुये मोतिहारी तक सरकारी बस का परिचालन नहीं किये जाने से प्राईवेट बस मालिकों द्वारा मनमाफिक किराया के चलते ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर सरकारी बस का परिचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

किसानों की क्षति एवं सड़क दुर्घटनाओं को रोकना

*150. श्री मुकेश कुमार रौशन--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में नीलगाय संरक्षित वन्य पशु की श्रेणी में शामिल है एवं संरक्षित वन्य पशुओं को संरक्षित स्थानों पर रखने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला सहित पूरे राज्य में नीलगाय का खुले में घुमना किसानों की फसलों के नुकसान के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं का भी कारण है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक नीलगायों को एक संरक्षित स्थान पर रखकर किसानों की क्षति एवं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरों एवं चहारदीवारी का निर्माण

*151. श्री विजय कुमार मण्डल--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड अन्तर्गत श्री भागवान सिंह उच्च विद्यालय अर्थु में कमरा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है तथा विद्यालय की चहारदीवारी भी नहीं है, जिससे बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में कमरों एवं चहारदीवारी का निर्माण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय में कमरे का निर्माण

*152. श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मीनापुर प्रखंड के रामकिशोर उच्च विद्यालय, छपड़ा में 750 छात्र-छात्राएँ हैं, जो मात्र एक कमरे में पठन-पाठन करते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त उच्च विद्यालय में कबतक अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरों का निर्माण कराना

*153. श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मीनापुर प्रखंड के राम कृष्ण उच्च विद्यालय मीनापुर में 1738 छात्र-छात्रायें हैं, जो मात्र 6 कमरों में पठन-पाठन करते हैं, जिसमें कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त उच्च विद्यालय में कबतक अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*154. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पताही प्रखंड के पन्दुमकेर पंचायत के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, नारायणपुर में स्थित विद्यालय का चहारदीवारी नहीं रहने के कारण विद्यार्थियों को पठन-पाठन में बाधा उत्पन्न होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण

*155. श्री मनोज कुमार यादव--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड कोटवा में भोपतपुर उत्तरी पंचायत के डोम टोला (माँझी टोला) महादलित बस्ती में सरकारी भवन नहीं होने के कारण आवासित परिवारों को शादी-विवाह या अन्य सार्वजनिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करने में असुविधा होती है, जबकि बस्ती में पर्याप्त सरकारी जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बस्ती में सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*156. श्री विजय कुमार मण्डल--क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड अन्तर्गत बलदेव उच्च विद्यालय में छात्र एवं छात्राओं की संख्या 1,600 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास की सुविधा नहीं होने के कारण छात्र एवं छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में छात्रावास निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी बस का परिचालन

*157. श्री शमीम अहमद--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के नरकटियागंज विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत छौड़ादानों प्रखंड के लौहडियां से खैरवा होते हुये मोतिहारी तक सरकारी बस का परिचालन नहीं किये जाने से प्राईवेट बस मालिकों द्वारा मनमाफीक किराया के चलते ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित मार्ग पर सरकारी बस का परिचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण कराना

*158. श्री शाहनवाज--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक प्रखंड स्तर पर खेल-कूद को प्रोत्साहन देने हेतु एक स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा, उक्त निर्णय के आलोक में अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*159. श्री कुमार सर्वजीत--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 14 जनवरी, 2021 को प्रकाशित शीर्षक "प्रमाण-पत्र जारी करने पर गंभीर नहीं विश्वविद्यालय हजारों आवेदन पेंडिंग" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के बी०आर०ए०, बिहार वि०वि०, मुजफ्फरपुर, जयप्रकाश वि०वि०, छपरा एवं एम०एम०एच० अरविक, एंडपसिर्यन पीयू क्रमशः 4906, 11716, 4543 डिग्री, मार्कशीट, माईग्रेशन, प्रोविजनल आदि सर्टिफिकेट के आवेदन लंबित है, जबकि ऑनलाइन आवेदन के बाद 30 दिनों के अन्दर प्रमाण-पत्र देने का प्रावधान है, यदि हाँ, तो उक्त विश्वविद्यालयों में वर्णित डिग्रियों के आवेदन लंबित होने का क्या औचित्य है ?

पुनर्वास की व्यवस्था

*160. श्री ललित कुमार यादव--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार पूरे राज्य में जल-जीवन हरियाली योजना के तहत नदी/तालाब के किनारे बसे-बसावटों को पर्यावरण संरक्षण के लिये खाली करवा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शहरी एवं ग्रामीण इलाकों के तालाबों के किनारे हजारों पक्के मकानों के निवासियों का आवास खाली कराने से दरभंगा जिला के नेहरा पूर्वी पंचायत के नेहरा गाँव एवं मधुबनी जिला के बेनीपट्टी अंचल के अकौर एवं मनपौर पंचायत के केसूली राधानगर सहित राज्य के हजारों परिवारों के लाखों की संपत्ति की क्षति हो रही है एवं लाखों लोग बेघर हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के जल-जीवन हरियाली योजना में विस्थापित परिवारों को पुनर्वास की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अम्बेदकर बालिका छात्रावास का निर्माण

*161. श्री राजेश कुमार--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति अम्बेदकर बालिका छात्रावास का निर्माण अभीतक नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित जिले के कुटुंबा में उक्त छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि--

- औरंगाबाद जिलान्तर्गत डॉ० बी०आर० अम्बेदकर कल्याण बालक छात्रावास संचालित है।
- सम्प्रति औरंगाबाद जिले के कुटुंबा में बालिका कल्याण छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

डिग्री महाविद्यालय की स्थापना

*162. श्री जनक सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया, पानापुर एवं इसुआपुर प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय नहीं रहने के कारण उक्त प्रखंड के छात्र-छात्राओं को उच्च स्तर की शिक्षा के लिये परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार सारण जिलान्तर्गत उक्त प्रखंडों में कबतक डिग्री महाविद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 23 फरवरी, 2021 (ई०)।

राज कुमार सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु० - 98 (एल०ए०), 2020-21 डी०टी०पी० -550